रिवीजनल सिविल

*D. Koshal, न्यायमूर्ति. के समक्ष,.*

**मांगेराम *राम और अन्य,- याचिकाकर्ता।***

*बनाम*

*ज्योति प्रसाद और अन्य,- उत्तरदाता।*

*सिविल संशोधन सं। 1969 का 1054.*

*20 अप्रैल, 1969।*

*अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 की धारा (iv) (ग) के अर्थ के भीतर किसी राहत को परिणामी माने जाने के लिए आवश्यक पूर्व-अपेक्षाओं में से एक यह है कि यह तब प्रदान नहीं किया जा सकता है जब घोषणात्मक राहत, जिसके लिए यह आकस्मिक है, से इनकार कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, राहत ऐसी होनी चाहिए कि वादी को दावा करने से पहले कानूनी रूप से घोषणा के लिए पूछना चाहिए। राहत सीधे घोषणा से आनी चाहिए और 'पर्याप्त' राहत के रूप में घोषणा से स्वतंत्र रूप से दावा नहीं किया जा सकता है।*

*माना गया कि इससे पहले कि संयुक्त हिंदू परिवार के प्रबंधक द्वारा किया गया अलगाव परिवार के अन्य सदस्यों को बांध सकता है, यह उसके द्वारा होना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं है, यह परिवार के अन्य सदस्यों के लिए शून्य है। जहाँ एक संयुक्त हिंदू परिवार का प्रबंधक पारिवारिक संपत्ति बेचता है, विक्रेता के तहत एक किरायेदार के हिस्से को स्वीकार करता है और विक्रेता उसके खिलाफ बेदखली का आदेश प्राप्त करता है, परिवार के अन्य सदस्य न तो वास्तव में हैं और न ही रचनात्मक रूप से बिक्री या बेदखली के आदेश के पक्षकार हैं। जहाँ तक उनका संबंध है, बिक्री अमान्य है और वे इसे पूरी तरह से अनदेखा करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे बेदखली के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करने के हकदार हैं, क्योंकि उनके लिए बिक्री या बेदखली के आदेश को अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए संयुक्त हिंदू परिवार के ऐसे सदस्यों द्वारा निषेधाज्ञा के लिए एक साधारण मुकदमा बनाए रखा जा सकता है।*

*रोहतक के जिला न्यायाधीश, श्री गुरनाम सिंह के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन याचिका। 4 नवंबर, 1969, श्री टी. पी. गर्ग, उप न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, रोहतक, दिनांक 3 जुलाई, 1969 की पुष्टि करते हुए, वादी को धारा 7 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उनके द्वारा दायर दस्तावेजों के साथ वादी को वापस करना।*

*निर्णय*

*रोहतक के जिला न्यायाधीश श्री वर्णम सिंह के दिनांक 4 नवंबर, 1969 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए यह याचिका निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुई है। कुंदन लाई, प्रतिवादी नं। 5, जो वादी संख्या का पिता है। 1 से 5 और वादी का पति नं। 6, प्रतिवादी संख्या को विवाद में घर बेच दिया। 1 से 4 तक, दिनांक 28 मार्च, 1958 के विक्रय विलेख के अधीन और उसके तुरंत पश्चात अपने विक्रेताओं के अधीन एक किरायेदार का पद स्वीकार किया, जिसने समय के साथ, 10 अप्रैल, 1969 को पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के अधीन एक नियंत्रक से उसके विरुद्ध घर से बेदखल करने का आदेश प्राप्त*

*किया। इसके बाद वादी ने मुकदमा दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप यह याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि घर संयुक्त हिंदू परिवार का था जिसमें वे और प्रतिवादी नं। 5, कि उपर्युक्त विक्रय बिना विचार के और कानूनी आवश्यकता द्वारा असमर्थित था और प्रतिवादियों द्वारा प्राप्त बेदखली का आदेश सं। 1 से 4 धोखाधड़ी से दूषित हो गए थे। वादी ने दो राहतों का दावा किया, अर्थात्-*

*(क) एक घोषणा जो वादी सं. 1 से 5 विवादग्रस्त घर के मालिकों के रूप में उसके कब्जे में थे, कि वादी नं। 6 अपने जीवनकाल के दौरान घर में रहने का हकदार था और प्रतिवादियों द्वारा प्राप्त बेदखली का आदेश सं। प्रतिवादी नं के खिलाफ 1 से 4। 5, वादी पर बाध्यकारी नहीं था, और*

*(ख) एक स्थायी निषेधाज्ञा जो प्रतिवादियों को विवाद में घर पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने या बाधा डालने से रोकती है।*

*वाद के पैरा 6 में कहा गया है:-"न्यायालय-शुल्क और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्य रु। 130 और घोषणा की राहत के संबंध में रु। 19.50 का भुगतान किया जाता है जबकि निषेधाज्ञा की राहत पर न्यायालय-शुल्क का भुगतान Rs.13 है, कुल रु। 32.50 ".*

*प्रतिवादी सं। 1 से 4 ने मुकदमा लड़ा।*

*उन्होंने दलील दी कि बिक्री विचार और आवश्यकता के लिए हुई थी, कि वे अपने किरायेदार, प्रतिवादी नं। 5, जिनके खिलाफ उन्होंने उचित रूप से प्रश्नगत निष्कासन का आदेश प्राप्त किया था और यह कि मुकदमा सांठगांठ वाला था। एक अन्य आपत्ति यह थी कि वादी विवाद में घर के बाजार मूल्य पर अदालत-शुल्क और मूल्य का भुगतान करने के लिए बाध्य थे, जिसे प्रतिवादियों द्वारा प्रतिवादी नं। 5 और न कि किसी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति जैसे कि वादी द्वारा स्थापित की गई थी।*

*श्री टी. पी. गर्ग, अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, रोहतक, जिन्हें मामले में शामिल किया गया था, ने निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया:-"क्या मुकदमा न्यायालय फीस और अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए उचित रूप से मूल्यवान है? ओ. पी. पी. "*

*इस मुद्दे पर वादी का मामला यह था कि उनके द्वारा दावा की गई दो राहतें दोनों मूल राहतें थीं जो एक-दूसरे से स्वतंत्र थीं और जिनका उचित रूप से दावा किया गया था, जबकि प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों की ओर से लिया गया रुख यह था कि मुकदमा न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (c) के दायरे में आने वाली परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए एक था।*

*प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के पक्ष में मुद्दे का निर्णय लेने में, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने पृथ्वी राज बनाम डी. सी. रल्ली (1) खान सिंह बनाम बलदेव सिंह और अन्य (2) और माउंट पर भरोसा किया। जेब-उल-निसा बनाम दीन मुहम्मद, (3) ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय फीस और अधिकारिता दोनों के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्य रु। 27, 200, वह राशि जिसके लिए प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री प्रत्यक्ष रूप से हुई थी। तदनुसार उन्होंने न्यायालय फीस में कमी को ठीक करने के बाद उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वादी को वाद वापस कर दिया।*

*विवादित आदेश द्वारा, विद्वत जिला न्यायाधीश ने पृथ्वी राज बनाम डी. सी. रल्ली, (1) और खान सिंह बनाम बलदेव सिंह और अन्य (2) के आधार पर वादी की अपील को खारिज कर दिया।*

*2. निर्धारण पर विवाद की सराहना करने के लिए जो इस याचिका के भाग्य पर निर्भर करता है, न्यायालय-शुल्क अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत किया जा सकता है:*

*न्यायालय के शुल्क अधिनियम की धारा 7*

*इसके बाद उल्लिखित मुकदमों में इस अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगीः*

*पैसे के लिए।- (i) दावा की गई राशि के अनुसार धन के मुकदमों में (हर्जाने या मुआवजे, या रखरखाव के बकाया, वार्षिकी, या समय-समय पर देय अन्य राशियों के मुकदमों सहित)।*

*रखरखाव और वार्षिकी के लिए।- (ii) रखरखाव और वार्षिकी या समय-समय पर वाद के विषय-वस्तु के मूल्य के अनुसार देय अन्य राशियों के मामलों में, और ऐसा मूल्य एक वर्ष के लिए देय होने का दावा की गई राशि का दस गुना माना जाएगाः बाजार मूल्य वाली अन्य चल संपत्ति के लिए। (iii) धन के अलावा अन्य चल संपत्ति के मुकदमों में, जहां विषय-वस्तु का वाद प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसे मूल्य के अनुसार बाजार-मूल्य है;*

*(iv) मुकदमों में---बिना किसी बाजार मूल्य की चल संपत्ति के लिए।- (क) चल संपत्ति के लिए जहां विषय वस्तु का कोई बाजार मूल्य नहीं है, उदाहरण के लिए, स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों के मामले में, संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को लागू करने के लिए।- (ख) किसी संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को इस आधार पर लागू करना कि वह संयुक्त परिवार की संपत्ति है, एक घोषणात्मक डिक्री और परिणामी राहत के लिए।- (ग) निषेधाज्ञा के लिए एक घोषणात्मक डिक्री या आदेश प्राप्त करना, जहां परिणामी राहत का अनुरोध किया जाता है।(घ) सुगमता के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करना।- (ङ) भूमि से उत्पन्न होने वाले कुछ लाभ के अधिकार के लिए (जिसमें अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है) और खातों के लिए।- (च) लेखाओं के लिए-उस राशि के अनुसार जिस पर मांगी गई राहत का मूल्यांकन वाद या अपील के ज्ञापन में किया गया हैः*

*ऐसे सभी मुकदमों में वादी उस राशि का उल्लेख करेगा जिस पर वह मांगी गई राहत को महत्व देता हैः*

*बशर्ते कि प्रत्येक मामले में न्यूनतम न्यायालय शुल्क तेरह रुपये होगा।*

*परन्तु यह और कि उपखंड (ग) के अधीन आने वाले वादों में, ऐसे मामलों में जहां मांगी गई राहत किसी संपत्ति के संबंध में है, ऐसा मूल्यांकन इस धारा के खंड (v) द्वारा उपबंधित रीति में संगणित संपत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा।*

*अनुसूची II*

*निर्धारित फीस संख्या उचित शुल्क*

*17) निम्नलिखित प्रत्येक वाद में याचिका या अपील का ज्ञापनः*

*एक घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए जहां कोई परिणामी राहत की प्रार्थना नहीं की जाती है।*

*यह निर्विवाद है कि इससे पहले कि वाद धारा 7 (iv) (ग) के दायरे में आता है, निषेधाज्ञा की राहत घोषणा की राहत के संबंध में एक परिणामी राहत होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है, तो मुकदमा अदालत-शुल्क के प्रयोजनों के लिए सही ढंग से मूल्यवान है। इसलिए, हमें मुख्य रूप से इस बात पर विचार करना है कि क्या निषेधाज्ञा की राहत एक परिणामी राहत है। इस संबंध में, माउंट को लाभ के साथ संदर्भ दिया जा सकता है। जेब-उल-निसा और अन्य बनाम चौधरी दीन मोहम्मद और अन्य (3), जो कालूराम बनाम बाबू लाई (4) के अधिकार पर परिणामी राहत पद का उल्लेख करता है, का अर्थ है कुछ राहत, जो दी गई घोषणा से सीधे तौर पर मिलती है, जिसका मूल्यांकन निश्चित रूप से सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है और*

*जिसका अधिनियम में कहीं भी विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है और जिसे पर्याप्त राहत के रूप में घोषणा से स्वतंत्र रूप से दावा नहीं किया जा सकता है। अतः यह कहा जाता है कि यदि किसी भी मामले में दावा की गई राहत वास्तव में एक पर्याप्त राहत के समान पाई जाती है और उपरोक्त अर्थों में केवल परिणामी राहत नहीं है, तो वादी को पर्याप्त राहत पर अदालत की फीस का भुगतान करना होगा।*

*पूर्ण पीठ के अनुसार, न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 (iv) (c) के अर्थ के भीतर किसी राहत को परिणामी राहत माने जाने से पहले चार शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए और वे शर्तें हैं:-*

*(i)यह राहत घोषणा से सीधे मिलनी चाहिए,*

*(ii) इसका मूल्यांकन निश्चित रूप से सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है,*

*(iii) यह अधिनियम में कहीं भी विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है, और*

*(iv) इसे पर्याप्त राहत के रूप में घोषणा से स्वतंत्र रूप से दावा नहीं किया जा सकता है।*

*यह प्रस्ताव कि राहत देने से पहले इन चारों शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, न्यायालय-शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (c) के अर्थ के भीतर एक परिणामी राहत माना जा सकता है, पंडित जे द्वारा संदेह किया गया था, जिन्होंने परभू और अन्य बनाम गिरधारी और अन्य (5) में बहुमत के निर्णय दिए थे, लेकिन उनकी भी दृढ़ता से राय थी कि राहत को 'परिणामी राहत' कहने के लिए उपरोक्त शर्तों (i) और (iv) को पूरा किया जाना चाहिए। पंडित, जे. ने श्रीमती में हरनाम सिंह, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया। अंगूरी देवी बनाम वर्णम सिंह (6).*

"धारा 7 (iv) (सी) एक ऐसे वाद पर विचार करती है जिसमें घोषणात्मक राहत मूल राहत है और परिणामी राहत को घोषणात्मक राहत के लिए आकस्मिक के रूप में माँगा जाता है। वास्तव में, धारा 7 (iv) (c) के भीतर एक वाद लाने के लिए दोनों राहतों को इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि यदि न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए एक घोषणात्मक डिक्री पारित करने से इनकार कर देता है, तो परिणामी राहत का दावा भी विफल हो जाता है, और निष्कर्ष निकाला जाता है मेरे विचार में, 'परिणामी राहत' मुख्य घोषणात्मक राहत के लिए आकस्मिक है और यदि बाद वाले को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, किसी राहत को "परिणामी" माने जाने के लिए आवश्यक पूर्व-अपेक्षाओं में से एक यह है कि यदि घोषणात्मक राहत, जिसके लिए यह आकस्मिक है, से इनकार कर दिया जाता है तो इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, राहत ऐसी होनी चाहिए कि वादी को दावा करने से पहले कानूनी रूप से घोषणा के लिए पूछना चाहिए। यह इस पृष्ठभूमि में है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या वर्तमान मामले में दावा की गई निषेधाज्ञा की राहत एक परिणामी राहत है, ताकि यह पहले पता लगाया जाना चाहिए कि क्या वादी पर यह बाध्यकारी है कि वे मांगें निषेधाज्ञा की राहत के हकदार होने से पहले उनके द्वारा दावा की गई घोषणा के लिए।

3. श्री सरीन, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के विद्वान वकील, जोरदार आग्रह करते हैं कि वादी को तब तक निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती जब तक कि उनके पास प्रतिवादी नं। 5 विरोध करने वाले प्रतिवादियों के पक्ष में और उनके द्वारा उसके विरुद्ध प्राप्त बेदखली के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन मेरी स्पष्ट राय है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी न तो वास्तव में थे और न ही

रचनात्मक रूप से बिक्री या बेदखली आदेश के पक्षकार थे, विवाद अच्छी तरह से आधारित नहीं है। स्थिति बहुत अलग होती अगर प्रतिवादी नं। 5 संपत्ति के स्वामित्व के साथ भाग लेते समय या वादी द्वारा स्थापित संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में बेदखली की कार्यवाही का बचाव करते हुए कार्य करने के लिए, जो कि, हालांकि, किसी का मामला नहीं है। क्या प्रतिवादी नं। 5 यह था कि उसने विवादग्रस्त घर के साथ इस तरह व्यवहार किया जैसे कि वह एक व्यक्ति के रूप में उसकी संपत्ति थी; और यदि ऐसा है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने उक्त परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से महाभियोग की मांग किए गए दो लेन-देनों में कार्य करने का इरादा किया था, जिन्हें इसलिए किसी भी हद तक और किसी भी परिस्थिति में बिक्री या बेदखली के आदेश से बाध्य नहीं ठहराया जा सकता था। जहाँ तक उनका संबंध है, बिक्री अमान्य है और वे घोषणा के लिए पूछे बिना इसे पूरी तरह से अनदेखा करने के लिए स्वतंत्र हैं जो उन्होंने दावा किया है। वे उस निषेधाज्ञा की मांग करने के हकदार हैं, जिसके लिए उन्हें बिक्री या बेदखली के आदेश को अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजिंदर प्रसाद और अन्य बनाम शमशेर सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा ठीक यही दृष्टिकोण लिया गया था (7). कौशल, जे. (7) 1967 P.L.R. 445. जिसने डिवीजन बेंच का निर्णय सुनाया, विस्तार से अधिकारियों की समीक्षा की और यह अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त हिंदू परिवार के प्रबंधक द्वारा किए गए रोग से परिवार के अन्य सदस्यों को बांधने से पहले यह उसके द्वारा होना चाहिए और जब तक कि ऐसा नहीं था, यह अमान्य नहीं था, बल्कि उनके लिए शून्य था। पृथ्वी राज बनाम डी. सी. रल्ली (1) (supra). जे. कौशल ने कहाः -

पीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह मामला इस धारणा पर भी आगे बढ़ता है कि अलगाव संयुक्त परिवार की ओर से किया गया था। तथ्यों से पता चलता है कि एक बंधक के आधार पर डिक्री जिसे बेटे द्वारा चुनौती दी जा रही थी, वादी के पिता और दादा के खिलाफ पारित की गई थी।"

पृथ्वी राज बनाम डी. सी. रल्ली (1) (उपर्युक्त), इसलिए, प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों के मामले में कोई सहायता नहीं है क्योंकि इसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है जिसमें प्रतिवादी नं. 5 बिक्री और बेदखली की कार्यवाही के मामले में कभी भी अपने नेतृत्व वाले किसी भी संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में कार्य करने का इरादा नहीं रखा। इसी कारण से, हरिकिशन लाई बनाम बरकत अली और अन्य (8), जिस पर श्री सरीन भरोसा करते हैं, भी प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के लिए कोई सहायता नहीं है। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक पुत्र द्वारा यह घोषणा करने के लिए मुकदमा कि उसके पिता द्वारा प्रभावित संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति की बिक्री पारिवारिक आवश्यकता के लिए नहीं की गई थी और उस पर बाध्यकारी नहीं थी, और अपने पिता के साथ बेची गई संपत्ति के संयुक्त कब्जे के लिए न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (सी) के तहत आता है। उस मामले के संबंध में, राजिंदर प्रसाद और अन्य बनाम शमशेर सिंह (7) (ऊपर) कौशल, जे. ने कहाः –

पीठ ने कहा, "फैसले के मुख्य भाग से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पिता द्वारा पिता की हैसियत से अलगाव किया गया था और यह मान लेना होगा कि ऐसा था। पूरी चर्चा इसी आधार पर आगे बढ़ती है। प्रस्ताव अप्रत्याशित है, अगर यह पाया जाता है कि अलगाव संयुक्त परिवार के पिता की क्षमता में है। हालाँकि स्थिति पूरी तरह से अलग होगी यदि पिता अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और संपत्ति में अपने पूर्ण स्वामित्व अधिकारों के दावे में संपत्ति को अलग कर देता है।"

4. राजिन्दर प्रसाद और अन्य बनाम शमशेर सिंह (7) (उपर्युक्त) के पश्चात् मेरा यह मत है कि वादी उस विक्रय और बेदखली के आदेश की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र थे, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह उनके लिए बाध्यकारी नहीं है और वे वाद में लगाए गए आरोपों पर सीधे समाधान की मांग

कर सकते हैं, ताकि घोषणा की राहत पर परिणामी राहत के रूप में माने जाने वाले निषेधाज्ञा की राहत के लिए आवश्यक पूर्व-आवश्यकता वर्तमान मामले में अनुपस्थित हो, और जबकि वादी द्वारा दावा की गई घोषणा की राहत न्यायालय-शुल्क अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 (iii) के तहत आती है, निषेधाज्ञा की राहत उसकी धारा 7 (iv) (d) के अंतर्गत आती है।

मैं यहां यह कह सकता हूं कि खान सिंह बनाम बलदेव सिंह और अन्य (2) (उपर्युक्त) वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं क्योंकि इसमें एक घोषणात्मक डिक्री के साथ-साथ परिणामी राहत की मांग की गई थी।

5. पक्षकारों के बीच यह सामान्य आधार है कि यदि वाद न्यायालय-फीस अधिनियम की धारा 7 (iv) (ग) के अधीन नहीं आता है, तो इसे न्यायालय-फीस और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से मूल्यवान माना जाना चाहिए। नतीजतन, याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। नीचे दिए गए दो न्यायालयों के निर्णयों को दरकिनार कर दिया गया है, और निचली अदालत को वाद का प्रतिनिधित्व करने के बाद वाद के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी (**हरियाणा)**